

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

जामनी वनाम श्रीमती रामु (वर्ग)

केरस मुकदमा ..... 31-15 ..... 111-129 नं० ..... 107 सन 2020

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 11.8.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
8-2	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25-8-20</p> <p>उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर/अपस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
9-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, अभिभाषकगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण के कितनी मर्तबा आपाजे फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थिया में बहस करनी चाही बहस सुनी शयी। वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शाप पत्र किये गया। पत्रावली फंसिल शुमार होकर नम्बर से सम्म हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-मंहीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 107/20 प्रा-पत्र

1- जमनी पुत्री बाबु कुमावत निवासी-काशीराम जी शिखेड़ी तहसील माण्डल

-प्रार्थी

- वनाम  
1. श्रीमती रामू पौडी बाबु कुमावत निवासी-काशीराम जी शिखेड़ी तहसील माण्डल  
2. श्रीमती कमल कुमारी बाबु कुमावत निवासी  
3. राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशीराम जी शिखेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1137/102 कुल किता 0.1 रकबा 0.1 बीघा बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-07-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम जी शिखेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1137/102 कुल किता 0.1 रकबा 0.1 बीघा बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा